न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम,
मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0	:	282 / 2026
सीआईएस नम्बर	:	523 / 2026

1. अर्जुन लाल
2. ताराचन्द

पुत्रान स्व0 श्री भगवान, निवासीगण ग्राम चतरपुर, जगतपुरा, पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक।

.....अप्रार्थी

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–482 बी0एन0एस0एस0
एफआईआर सं0 339 / 2023 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व
अपराध अं0 धारा 323, 341, 420, 406, 467, 468, 471, 504, 120बी भा0दं0सं0

उपस्थितिः–

1. श्री आर0के0 सारस्वत अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री संजय शर्मा, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य पक्ष।

:: आदेश :: **दिनांक : 18.06.2026**

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से अंतर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 339 / 2023, अन्तर्गत धारा 323, 341, 420, 406, 467, 468, 471, 504, 120बी भा0दं0सं0 में अपनी सम्भावित गिरफ्तारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। सम्बन्धित पत्रावली तलब की जाकर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2023 को परिवादी श्री अभिषेक पुत्र श्री कैलाश चन्द ने न्यायालय में परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी ने एक प्लाट संख्या ए–120, जिसका क्षेत्रफल 480 वर्गगज, जो कि श्री नृसिंह आर्केड, निजी खातेदारी स्कीम, ग्राम चतरपुरा, पोस्ट दांतली, तहसील सांगानेर,

जिला जयपुर में स्थित है को क्रय किया था। परिवादी द्वारा उक्त प्लाट को श्री नृसिंह डवलपर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स प्रा0 लि0 के द्वारा ग्राम चतरपुरा, पोस्ट दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 361/536, 351/537 कुल किता 39 रकबा 17.52 (70 बीघा 8 बिस्वा) में सृजित की थी से क्रय वर्ष 2006 में किया था और मौके पर कब्जा प्राप्त कर चार दिवारी का निर्माण करवा लिया था। मैसर्स श्री नृसिंह डवलपर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स प्रा0लि0 के निदेशकों के द्वारा खातेदारों से द्वारा उक्त स्कीम की 90बी की कार्यवाही करवा दी थी तथा उक्त स्कीम के सभी सदस्यों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा कर उक्त स्कीम का अनुमोदन भी करवा दिया था। श्री नृसिंह आर्केड, निजी खातेदारी स्कीम के मूल खातेदार रामजी लाल मीणा पुत्र कल्याण, श्री लाखा राम मीणा पुत्र कल्याण, प्रभात, रामस्वरूप पुत्रान कल्याण, श्रीमति बिरदी देवी पत्नि श्री कल्याण, श्रवण पुत्र कल्याण, गुलाब पुत्र श्री छोटू एवं श्रीमति गोरा पत्नि श्री छोटू, श्री भगवान पुत्र श्री भूरा, श्री रमस्या पुत्र श्री भूरा, श्रीला पुत्र भूरा व अन्य के मन में शुरू से ही खोट या उनके द्वारा कम्पनी से राशि 4,38,33,800/–रुपये मय ब्याज के साथ चैक/आरटीजीएस व नगद से प्राप्त किये है साथ ही कुछ डवलप प्लाट भी प्राप्त किये जिन्हें बेच कर भी राशियां प्राप्त की है और कुछ प्लाट आज भी खातेदारों के पास है। श्री नृसिंह आर्केड, निजी खातेदारी स्कीम में लगभग 350 प्लाटधारी है। खातेदारों के द्वारा वर्ष 2009 से ही कम्पनी के निदेशकों व अन्य के विरुद्ध बदनियतीपूर्वक उक्त स्कीम की जमीन को हड़पने के उद्देश्यों से मुकदमें बाजी करते रहे है। परिवादी की जानकारी में आया है कि उक्त खातेदारों के द्वारा श्री नृसिंह डवलपर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स प्रा0 लि0 के नाम से मिलता जुलता सा नाम से कम्पनी बनाकर उक्त स्कीम के पट्टों के फर्जी एवं कूटरचित पट्टे तैयार कर लिये हैं जिससे उक्त स्कीम के समस्त प्लाटधारियों के समस्त प्लाटों पर कब्जा कर लिया जावे और फर्जी व कूटरचित पट्टों के आधार पर बेचे हुए प्लाट दुबारा बेच सके। प्रार्थी दिनांक 02.08.2022 को अपने प्लाट पर गया तो उक्त अभियुक्तगण मौके पर आ गये और उनके द्वारा प्रार्थी को घेर लिया और गाली गलौच की, मारपीट व धक्का मुक्की की और गन्दी गन्दी मां बहन की गाली दी और कहा कि हमने उक्त स्कीम पर कब्जा कर लिया हैं तुम वापिस अपने प्लाट पर आये तो जान से मार देंगे। तुम चाहो तो तुम्हारा प्लाट एक लाख रुपये में हम खरीद लेंगे। हमारे पास तुम्हारे प्लाट का दूसरा फर्जी पट्टा भी है जिससे हम उक्त प्लाट को बेच देंगे। तेरे में दम हैं तो प्लाट पर निर्माण करके दिखा हमारे विरुद्ध रोज मुकदमें दर्ज होते है, थाने

वाले हमारी जेब में रहते है। हमारी पहुंच कमिश्नर तक हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तेरे को जो करना है वह कर लेवे, हम तो तेरे प्लाट पर कब्जा करके रहेंगे। खातेदारों के द्वारा स्वयं को फायदा पहुंचाने तथा मेरे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से फर्जकारी पट्टे बना लिये, जो धोखाधड़ी व अमानत की खयानत दस्तावेजों की कूटरचना, मारपीट एवं धक्का मुक्की, जबरन रास्ता अवरोध करना, गन्दी गन्दी मां बहन की गालिया देना तथा जान से मारने की धमकी देना व डरा धमका कर मेरे प्लाट को सस्ते में खरीदने के आशय से किया गया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 339/2023 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व में अंतर्गत धारा 323, 341, 420, 406, 467, 468, 471, 504, 120 (बी) आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त होकर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण को केवल मात्र हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से प्रकरण में नाम अंकित कर लिप्त किया जा रहा है। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। अनुसंधान अधिकारी प्रार्थीगण को बिना किसी वजह सबूत के गिरफ्तार करने पर आमादा हो रहा है और प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का नियमानुसार अवसर नहीं दे रहा है। प्रार्थीगण के भागने या फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण पुलिस अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्ववर्ती/अन्य आपराधिक रेकार्ड पत्रावली के अनुसार निम्न प्रकार हैः–

अर्जुन लाल का आपराधिक रिकॉर्ड

क.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	थाना
01	210/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
02	486/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
03	505/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
04	44/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
05	70/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
06	72/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान

07	74/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
08	339/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
09	342/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान

ताराचन्द का आपराधिक रिकॉर्ड

क्र.सं.	**मुकदमा नंबर**	**धारा**	**थाना**
01	210/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
02	486/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
03	505/2022	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
04	44/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
05	70/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
06	72/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
07	74/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
08	339/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
09	342/2023	420, 406, 384, 120बी आईपीसी	पैण्डिंग अनुसंधान
10	427/18	143, 323, 341, 325, 427 आईपीसी	चार्जशीट

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 384, 120बी भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित माना गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र करते हुए परिवादी के जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र भूखण्ड संख्या ए–120 की प्रतिफल राशि अदा कर क्रय करने के पश्चात कब्जा करने पर भूखण्ड पर कब्जा नहीं करने देने, भूखण्ड उन्हें वापस विक्रय करने एवं भूखण्ड के फर्जी दस्तावेज बनाकर अन्य को विक्रय कर देने की धमकी देने आदि के आरोप है। अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती है। इस स्तर पर अभियुक्तगण की निर्दोषिता के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसंधान पत्रावली में संलग्न प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अर्जुन एवं ताराचन्द के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके विरूद्ध जमीनों के सम्बन्ध में आपराधिक षडयंत्र कर छल करने व धमकी देने के अपराध सम्बन्धी क्रमशः 09, 10 प्रकरण दर्ज है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण छल के अपराध करने के आदतन अपराधी है। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया है कि आरोपीगण से प्रकरण में अभिरक्षात्मक अनुसंधान किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता एवं आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश ::

8. परिणामतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अर्जुन लाल एवं ताराचन्द की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

9. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर